Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक स्तर का समाजशास्त्रीय दृष्टी कोण से अध्ययन करता है। इसमें शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक आयामों को ध्यान में रखते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में किन –किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके शैक्षणिक विकास में कोण–कोण से कारक सहायक या बाधक हैं।

शब्द कुंजी – महिलाएं, आबादी, समाज, कल्याण, शिक्षा।

प्रस्तावना – भारत देश में पुराने समय में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था इसके पीछे पुरूष प्रधान समाज और दकियानूसी मानसिकता थी, धीरे–धीरे समय बीतता गया और समाज में कुछ महान लोगो का ध्यान इस ओर गया और महिलों को भी शिक्षा दि जाने लगी। इनमे ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाया जिसके कारण स्त्रियों ने भी शिक्षा और अध्ययन पर ध्यान दिया और तब से लेकर आज तक महिलायों ने शिक्षित बन कर समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया और अपने को सशक्त बनाते हुए अपनी सफलता के परचम पूरी दुनिया में लहरा दिए। गाँधी जी ने कहा है की एक महिला को शिक्षित करने से उसका पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है।

स्त्री शिक्षा एवं स्त्रियों के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कानून :

1. सर्व शिक्षा अभियान
2. इंदिरा महिला योजना
3. राष्ट्रीय महिला कोष
4. महिला समृधी योजना
5. दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961
6. कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984
7. सती निषेध अधिनियम 1990
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2008
9. घरेलू हिंसा हिंसा कानून 2005
10. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस 2013
11. मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961
12. समान पारिश्रमिक एक्ट 1976
13. राईट टू फ्री लीगल एक्ट
14. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
15. क्रिमिनल ला (अमेंडमेंट, एक्ट)

हमारे देश में हिन्दू महिलाओं के समान मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है ,इस्लाम धर्म में शिक्षा का बहुत महत्व हैं। शरियत –ए –इस्लाम में आदमी और औरत दोनों को समान अधिकार और कर्तव्य दिए गये हैं और दोनों अपने फर्ज को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है क्योकि औरते समाज का आधा हिस्सा है,आधी आबादी हैं।

किसी भी समाज के कल्याण और तरक्की के लिए इस आधी आबादी का शिक्षित होना लाजमी है बहुत जरूरी है।

इस्लाम धर्म की पवित्र किताब 'कुरान' और 'हदीस' में भी स्त्री शिक्षा को अहम माना है और कहीं भी यह उल्लेख नहीं है की औरतों को शिक्षा से दूर रखा जाना है।

वैसे देखा जाये तो हर धर्म में पुरूष प्रधानता हावी दिखाई देती है और सामाजिक नियमों को मर्द अपनी सहूलियत से मोड़ देते है। धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर अपने सुविधाओं की रोटी सेक लेते हैं।

ऐसा ही इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज में भी देखा जा सकता है कई कुप्रथाएं पाई जाती है जो केवल औरतों को नुकसान और मर्दों को लाभ पहुंचाती हैं जैसे 'तलाक','हालाला' आदि मुस्लिम समाज में औरतो को मस्जिद में प्रवेश वर्जित हैं, मुस्लिम औरते खुद की ओर से पति को तलाक नही दे सकती हैं यदि कोई महिला स्वयं तलक देती है। तब उस तलाक को 'खुला' कहा जाता है जिसमे उस महिला को उसका पति 'मेहर' की राशी देने बाध्य नही होता है मेहर वह राशि है। जो निकाह के समय दोनों पक्ष मिल कर तय करतें है और शौहर अपने जीवन काल में उस मेहर को अदा करता है या तलाक के समय देता है। अन्य धर्मो के तुलना में इस्लाम धर्म महिलाओं के हक का पक्षधर है किन्तु हकीकत में मुस्लिम महिलाओं को ही उनके अधिकारों से सबसे जयादा वंचित रखा गया है। यह सदियों से चला आ रहा है 'शरियत' पर्सनल लॉ के नाम पर औरतों को बेहद बुरी अवस्था से गुजरना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई आगे नही आता है। मुस्लिम औरतों को 'बुरखा', 'हिजाब', 'नकाब' अर्थात परदे में रखा जाता हैं। बड़े कामों में औरतों की राय नही ली जाती है जैसे मकान , दूकान, व्यापार आदि। इसी प्रकार मुस्लिम औरतों और मर्दों के बीच शिक्षा, कारोबार और सामाजिक गतिशीलता आदि का भेद भाव सर्वाधिक मात्रा में देखा जा सकता है।औरतों को हर छोटी छोटी बातों और निर्णय में पुरूष का सहारा लेना पड़ता है याने औरतें अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी भी नही सकतीं हैं। आज भी कुछ मुस्लिम महिलाओं को छोड़ कर अन्य सभी महिलायें अपने बुनियादी हक के लिए भी तरस रही है। इस्लामिक देशो में तो मुस्लिम औरतों की

सामाजिक स्थितिं और भी कमतर और बुरी है। मुस्लिम समाज में औरतों को दीनी तालीम ही दी जाती है और हर बात का फैसला शरियत और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से होता है। जिसके कारण बेचारी महिलाये निम्नतर जीवन जीने हेतु मजबूर रहती है उनका कोई समर्थन करने आगे नही आता है इन औरतों की जिंदगी अपना घर ,चूल्हा –चौका तक ही सीमित हो जातीं हैं।

मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग 'मदरसा' है। जो बच्चों को दीनी तालीम देता है। अर्थात इस्लाम धर्म की शिक्षा तो देता है किन्तु उन्हें आधुनिक समाज की चुनौतियों का सामना करना नही सिखा पाता है। इन मदरसों की शिक्षा को संदेह की नजरों से देखा जाता है और सरकार इन मदरसों की जाँच की कार्यवाही बार बार करवाती है। मदरसों की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में फर्क साफ नजर आता है इसीलिए इन मदरसों में या तो बेहद गरीब घर के बच्चे पढने आतें है या उन घरों के बच्चे आते हैं। जिनके अभिभावक अपने बच्चों को पूरी इस्लामिक शिक्षा देना चाहते हैं इन मदरसों उर्दू के साथ साथ सभी इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता हैं और समस्त उम्र के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं।

मुस्लिम समाज की महिलाओं की शिक्षा यात्रा में कई बाधक तत्व है:–

1. **रुढ़िवादी सोच और परम्परागत मान्यताएं–** मुस्लिम समाज में धर्म के ठेकेदारों ने इस्लाम धर्म की दुहाई दे दे कर औरतो की भूमिका को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित कर रखा है इसलिए औरतो की शिक्षा पर ध्यान ही नही दिया जाता है।

2. **पर्दा प्रथा–** मुस्लिम महिलाओं को बचपन से ही परदे में रखा जाता है, उन्हें नकाब ,बुरका और हिजाब लगाना अनिवार्य होता है। इसके पीछे दकियानूसी सोच है की पर पुरूष को महिलाओं का चेहरा तक नही दिखना चाहिए इसके चलते कई मुस्लिम महिलाये शिक्षा से वंचित रह जाती है क्योकि उनको सह –शिक्षा वाले शिक्षण संस्थानों में दाखिला नही दिलवाया जाता है ,और कई संस्थानों में ड्रेस कोड के कारण बुरका या हिजाब पहनना वर्जित होता है।

3. **अल्पसंख्यक समुदाय में आर्थिक पिछड़ा पन–** गरीबी के कारण परिवार सिर्फ लडको को पढ़ाते है और लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नही करना चाहते है इसे गैर जरूरी समझतें हैं।

4. **जल्दी विवाह प्रथा–** कम उम्र में शादी कर देने के कारण भी शिक्षा अधूरी रह जाती है।

5. **सुरक्षा की चिंताद स्कूल –** कालेज दूर होने के कारण भी माँ –बाप अपनी बेटियों को पढने नही भेजते हैं।

6. **शैक्षिणिक संस्थानों की कमी–** मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूल –कॉलेज की कमी के कारण भी बाधा उत्पन्न होती हैं।

7. **प्रेरणा की कमी–** मुस्लिम लड़कियों के सामने उनको प्रेरणा देने वाले नही होतें हैं उनका कोई रोल माडल भी नही होता है।

8. **पुरूष प्रधानता–** मुस्लिम समाज में पुरूष प्रधानता कठोर रूप में पाई जाती हैं घर और बच्चों से सम्बन्धित सभी निर्णय धर के मर्द लेते हैं औरतों से उनकी सलाह तक लेना मुनासिब नही समझतें है।

9. **आधुनिक और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन की चुनौती–** सभी मुलिम बच्चों को मदरसे से तालीम दिलवाई जाति है जिसमे इस्लाम धर्म की समस्त धार्मिक किताबों के माध्यम से दीनी तालीम दी जाती है।

10. **अन्य कारण–** अन्य कारणों में स्वयं महिला का पढने में मन नही लगना, प्रेम के चक्कर में पड जाना, बीमारी, चिंता, अवसाद, अकेलापन , गलत संगत आदि हैं।

मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्थिति को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है :–

1. **धार्मिक दृष्टिकोण से–** इस्लाम धर्म में महिलाओं को कई अधिकार दिए गयें है जैसे शिक्षा का अधिकार, पिता की सम्पति पर बेटियों का अधिकार, विरासत में हिस्सा पाने का अधिकार, विवाह की सहमति का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार इस तलाक को 'खुला' कहा जाता है, हालाँकि इन सभी अधिकारों की व्याख्या और पालन अलग अलग देशों में अलग तरीके से होता है।

2. **सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति–** पुरूष प्रधानता से मुस्लिम समाज भी अछुता नही है पारम्परिक सोच और पुरुषवादी मानसिकता के कारण मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा, तलाक, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित होना और हलाला जैसी कुप्रथाओं में फंसी हुई है, जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहद शोचनीय है किन्तु कुछ देशों में मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, रोजगार और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है किन्तु यह मात्रा बहुत कम है।

3. **आर्थिक स्थिति–** मुस्लिम महिलाओं को आज भी कई क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर नही मिलतें हैं और अक्सर मुस्लिम परिवार महिलाओं को नौकरी करने ही नही देते हैं इसके पीछे पर्दा प्रथा सबसे बड़ा कारण है। किन्तु कई मुस्लिम महिलाएं अब व्यवसाय, तकनीक, चिक्तिसा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पा रही हैं।

इस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नही है जोया हसन के अनुसार मुस्लिम समाज में धर्म का सहारा ले कर महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को छीना जाता हैं भारत में मुस्लिम लड़कियों का नही पढ़ पाना का मुख्य कारण गरीबी है।

छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के जबलपुर सम्भाग में आता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम की जनसँख्या लगभग 4.82%है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 71152 हैं। इस्लाम धर्म के लगभाग 11 .87% अनुयायी है।

मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में व्यापक अन्तर देखने को मिलता हैं जो सामाजिक, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र और अन्य कारकों पर निर्भर करता हैं।

इस पत्र का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक विकास में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना एवम उनका अपने शैक्षणिक अधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर के बारे में जानना और मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक –आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना साथ ही उनके शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना हैं ?

इस पत्र में परिकल्पना की गयी है की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक विकास में सांस्कृतिक बाधाओं की कोई भूमिका नही है और मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा के प्रति और अधिकारों के प्रति जागरूकता नही है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53.7% हैं। जिनमे से अधिकांश महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित हैं। मुस्लिम महिलायें शिक्षा के मामले में अन्य धार्मिक समुदायों की महिलाओं की तुलना में कम शिक्षित हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करना उनके पिछड़ेपन के कारणों को जानना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देना

है।

अक्सर मुस्लिम औरत से एक ऐसा चेहरा सामने आता हैं जो घर की चारदिवारी में बंद है और जो परदे में कैद हैं और हर बात ,हर काम के लिए अपने पति या पिता या पुत्र या भाई पर निर्भर हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी हैं।

इस प्रकार से कहा जा सकता हैं की आज भी मुस्लिम महिलाओं को उनके विचारों को दबा कर रखा जाता हैं उन्हें पढने हेतु प्रेरित नही किया जाता है उनको सिर्फ दीनी तालीम याफ्ता ही रखा जाता है जो उनके विवाह में काम आता हैं। मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति भी कमतर दिखाई दी उनके घरों में किसी भी बड़े निर्णय में उनकी सलाह नही ली जाती हैं उनकी मर्जी नही चलती हैं। वो पूर्ण रूप से अपने पिता, पति, पुत्र पर निर्भर करती हैं उनको बुर्के में हिजाब में परदे में रखा जाता हैं जिसे वो खुद की पसंद बताती हैं कुछ महिलाये जो किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षित हो गयी है अक्सर उनसे घर खर्च चलवाया जाता हैं उनकी बढती उम्र पर ध्यान नही दिया जाता हैं उनकी शादियों में अड़चन पैदा की जाती हैं और अंत में ऐसी महिलाये घरवालो के लिए कमाऊ पूत बन कर रह जाती हैं और अन्य सदस्यों की शादी करना उनके बच्चों का खर्च उठाना आदि में अपना समय और पैसा लगाने में मजबूर हो जाती हैं।

प्राचीन काल से मुस्लिम महिलाये तीन तलाक का दंश झेल रही थीं जिसमे पति अपनी मर्जी से कभी भी कैसे भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता था किन्तु मोदी सरकार ने तीन तलाक पर बंदिश लगवा कर मुस्लिम महिलाओं की प्रस्थिति को किसी सीमा तक उच्च स्तर पर केन्द्रित किया हैं।

वर्तमान में मुस्लिम महिलाओ को शिक्षा में रूचि ,सोशल मिडिया में सक्रियता विदेश यात्रा अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय देखा जा रहा हैं यह संकेत हैं की मुस्लिम महिलायें भी घर की चार दिवारी से बाहर निकल कर खुले आसमान में ऊँची उड़ान भरना चाहती हैं। आज अधिकांश महिलाओं ने बुरका, हिजाब पहनना त्याग दिया हैं ये सभी शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया हैं।

छिन्दवाड़ा में कुछ इलाके मुस्लिम बाहुल्य जनसँख्या वाले है जिसमे हुसैन नगर दिवान्चीपुरा, कुकड़ा जगत, उबैद्धगर, शिवनगर, ऊँटखाना क्षेत्र, नूरी मस्जिद एरिया आदि हैं। जिनमे निवासरत महिलाओ के शिक्षा के स्तर का सामाजिक अध्ययन के दौरान मिली जानकारी से ज्ञात हुआ कि मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक, कौमी, सामाजिक संस्थागत, सरचनात्मक परिवर्तन दृष्टी गोचर हो रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा का महत्व बखूबी जान लिया हैं और शिक्षित होना प्रारंभ कर दिया हैं। कुछ महिलाएं राजनीति में पकड़ बना रहीं हैं तो कुछ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। कई महिलाये डाक्टर बनी है कई अपना बुटिक, ब्यूटी पार्लर चला रहीं हैं,कुछ वकील हैं तो कुछ महिलाये अपना एन.जी.ओ. चलाकर समाजसेवा कर रहीं हैं। शिक्षित होने के कारण मुस्लिम महिलाओं के रहन सहन और वेशभूषा में भी अंतर आया है। अब आधुनिकता के साथ मुस्लिम महिलाएं जींस शर्ट , साडी, पलाजों पेंट स्लीवलेस कुरते, घाघरे, मिडी, स्कर्ट, फ्रॉक आदि सभी कुछ् पहन रही हैं। अध्ययन क्षेत्र में दो महिलाएं ऐसे मिली जिन्होंने हिन्दू धर्म वाले व्यक्ति से शादी की है और सफल वैवाहिक जीवन यापन कर रहीं हैं और फरटिदार इंग्लिश भी बोलती हैं यह सभी परिवर्तन शिक्षा के कारण ही संभव हुयें हैं।

अंत में कहा जा सकता हैं की आज देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील हैं किन्तु अभी भी पूर्ण लक्ष्य से बहुत दूर हैं। अभी भी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की गति बहुत ही धीमी हैं। जब तक सभी महिलएं शिक्षित नही हो जाती तब तक परिवर्तन का सफर अधूरा हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए की इस्लाम धर्म की पवित्रता को बरकरार रखते हुयें मुस्लिम महिलाओं को वर्तमान तार्किक द्रष्टि कोण के आधार पर समाज में कार्य करना और शिक्षित करने के लिए प्रयास करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रिसर्च गेट ,10/02/23
2 CORE
3 शर्मा ,दिनेश ,आधुनिक सामाजिक परिवर्तन और मुस्लिम महिलाएं IJCRT, अक्टूबर 2020
4 हसन, जोया, भारतीय मुसलमान, हंस, अगस्त 2013

****